

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद स्तर पर जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) के दिनांक 30.09.2017 के उपरान्त रिक्त होने वाले एक पद पर आबद्धता हेतु आवेदन पत्र विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 के अन्तर्गत(प्रस्ताव/पैनल) शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 04.09.2017 को सायं: 05-00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्य दिवस में कार्यालय सहायक अथवा नोटिस बोर्ड अथवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(भवानी सिंह खंगारौत)
जिलाधिकारी,
बागपत।

आवेदन पत्र का प्रारूप

- 01 पदनाम, जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :
 - 02 अधिवक्ता का नाम
 - 03 पिता का नाम
 - 04 अधिवक्ता का पूर्ण पता
 - 05 जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)
 - 06 चरित्र प्रमाण-पत्र
 - 07 जाति (यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति हों तो उसका प्रमाण सहित)
 - 08 विधि व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव
 - 09 अधिवक्ता बनने की तिथि/पंजीकन संख्या (प्रमाण पत्र सहित)
 - 10 किस कानून की वकालत करते हैं (अपराधिक/सिविल/राजस्व)
 - 11 हिन्दी का ज्ञान है अथवा नहीं।
 - 12 विगत दो वर्षों का सम्बन्धित न्यायालय से सत्यापित कार्य का विवरण तथा सफलता का प्रतिशत।
 - 13 पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो भेजी गयी आयकर विवरणी यदि कोई तो :-
 - 14 किसी अन्य पद से संबंधित है :-
 - 15 पैन नम्बर/आधार नम्बर
 - 16 अन्य विवरण :-
 - 17 दूरभाष/मोबाईल नम्बर :-
- दिनांक :- आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापित
फोटो

अनिवार्य अर्हता :- जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) बागपत के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने योग्य वे सदस्य होंगे, जिन्होंने सात वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो।

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत

संख्या- 721 / आर0ए0 -जि0शा0अधि0 (रा0)

दिनांक 23/8/2017

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियों) लखनऊ।

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बागपत।

3. जिलाधिकारी, मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/हापुड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति मय आवेदन पत्र प्रारूप को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरसा कराने का कष्ट करें।

4. उप जिलाधिकारी बागपत, बडौत, खेकड़ा को नोटिस बोर्ड पर चरसा कराने हेतु।

5. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन जनपद बागपत।

6. अध्यक्ष/सचिव राजस्व बार एसोसिएशन बागपत/बडौत/खेकड़ा।

7. नाजिर सदर कलक्ट्रेट बागपत को नोटिस बोर्ड पर चरसा कराने हेतु।

8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट www.baghat.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।

9. जिला सूचना अधिकारी बागपत को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रकाशन सर्वाधिक